राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : चेतन देवडा आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–18/2016

पंजियन दि. 02.11.2016
निर्णय दि. 29.05.2019

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

–– अपीलार्थी

बनाम

1. श्री हीरा पिता मोगा मीणा (मृतक) के कायम मुकाम

1/1. हाजियां पुत्र स्व. श्री हीरा पिता मोगा मीणा

1/2. पुंजी पुत्री स्व.श्री हीरा पिता मोगा मीणा

1/3. सविता पुत्री स्व. श्री हीरा पिता मोगा मीणा

1/4. हीर पुत्री स्व. श्री हीरा पिता मोगा मीणा

1/5. रतन पत्नि स्व. श्री हीरा पिता मोगा मीणा

समस्त निवासीयान पारडा गोकलिया, पटवार मण्डल आंतरी, तहसील डूंगरपुर

––रेस्पोडेन्टगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्

उपस्थित :– 1. पेरोकार सरकार – अपीलान्टगण

2. श्री प्रेमपुरी गोस्वामी एडवोकेट – रेस्पोडेन्टगण

:: निर्णय ::

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी तहसीलदार डूंगरपुर की ओर से राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत प्रार्थना–पत्र न्यायालय हांजा को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा पारडा गोकलिया की आराजी संख्या 57 में रकबा 17 बिस्वा एवं आ.नं. 64 में रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 04 बीघा 4 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट श्री हिरा पिता मोगा के नाम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी, जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 29.04.1978 एवं 95 दिनाक 30.12.1976 के रेकार्ड में दर्ज होकर बतौर गैर खातेदार दर्ज हैं रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं हैं। आराजी संख्या 57 रकबा 17 बिस्वा में भूमि आम रास्ता होकर ग्राम राजगढी से पारडा गोकलिया तक आने–जाने की पी.डब्ल्यू.डी. सड़क है तथा आ.नं. 64 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारडा गोकलिया के परिसर में होकर विद्यालय के कब्जे में हैं जिससे प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन निरस्त किया जावें।

29/5/19

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेसपोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट श्री हिरा के नाम जारी नोटिस में उसकी मृत्यु हो जाने की जानकारी पर उसके वारिसान की सूची तहसीलदार से तलब की गई। तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार मृतक हिरा के वारिसान को आदेश दिनांक 06.06.2018 द्वारा रेकार्ड पर लिया गया तथा उसकी तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्टगण को जारी नोटिस के क्रम में विपक्षी संख्या 1/1 श्री हाजियां ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा अन्य अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 की ओर से मौका निरीक्षण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

पेरोकार सरकार एवं रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकर का कथन है कि विपक्षी को मौजा पारडा गोकलिया की आ.नं. 57 का रकबा 17 बिस्वा एवं आ.नं. 64 का रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई हैं। आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की गई हैं। आराजी संख्या 57 में ग्राम गोवाडी से पारडा गोकलिया तक आने जाने की पी.डब्ल्यू.डी. सड़क बनी हुई हैं तथा आराजी संख्या 64 की भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारडा गोकलिया के परिसर में होकर विद्यालय कब्जे में हैं। इस प्रकार उक्त दोनों आराजीयात की भूमि पर आवंटन दिनांक से आज तक आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। वर्तमान में विपक्षी को आवंटित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात आम रास्ता एवं विद्यालय के काम में आम रही हैं, जिससे आवंटन निरस्त किया जावें। रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवंटित भूमि की विपक्षी की उपस्थिति में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर तद्नुसार प्रकरण निस्तारण किया जावें। प्रकरण तहसीलदार की ओर से मौका रिपोर्ट अनुसार ही प्रस्तुत हुआ हैं जिससे पुनः मौका निरीक्षण की आवश्यकता नहीं हैं।

उभयपक्षकारों की ओर से प्रस्तुत बहस के क्रम में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार डूंगरपुर की ओर से रेस्पोडेन्ट श्री हिरा पिता मोगा के नाम ग्राम पारडा गोकलिया की आ.नं. 57 रकबा 17 बिस्वा एवं आ.नं. 64 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने से निरस्त कराने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। तहसीलदार की रिपोर्टनुसार आ.नं. 57 रकबा 17 बिस्वा में ग्राम राजगढी से पारडा गोकलिया तक आने–जाने की पी.डब्ल्यू.डी. सड़क बनी हुई हैं तथा आ.नं. 64 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारडा गोकलिया के परिसर में स्थित होकर विद्यालय के कब्जे में हैं। रेस्पोडेन्ट को आवंटन वर्ष 1976–77 में होना संलग्न नामान्तरकरण प्रतियों से पाया जाता हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन की लम्बी अवधि उपरान्त भी आवंटन शर्तो की पालना नहीं करना पाया जाता हैं। आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त भी नहीं होकर तहसीलदार की रिपोर्ट एवं पर्चा मौका से प्रमाणित होता है। रिपोर्ट तहसीलदार

Scanned by CamScanner

एवं पर्चा मौका से रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि मौजा पारडा गोकलिया की आ.नं. 57 रकबा 17 बिस्वा में ग्राम राजगढी से पारडा गोकलिया आने–जाने की पक्की सड़क स्थित हैं तथा आ.नं. 64 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारडा गोकलिया के परिसर में स्थित हैं। रेस्पोडेन्ट को आवंटित उक्त दोनों आराजियात की भूमि पर रेस्पोडेन्ट का काश्त कब्जा नहीं होकर उक्त भूमि वर्तमान में सार्वजनिक प्रयोजन के कार्य में आ रही हैं जिससे इसे रेस्पोडेन्टगण के नाम रेकार्ड में बनाये रखने की कोई औचित्यता नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार अपीलार्थी (तहसीलदार डूंगरपुर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट श्री हिरा पिता मोगा मीणा के नाम मौजा पारडा गोकलिया की आराजी संख्या 57 ~~में~~ रकबा 17 बिस्वा एवं आ.नं. 64 में रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 04 बीघा 4 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता हैं एवं आवंटित भूमि को पूर्ववत बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार डूंगरपुर को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

29/5/19

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner